न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/204

धन्ना आत्मज नारायण भील जाति भील निवासी मोहनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2002 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार लाडपुरा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी धन्ना पुत्र नारायण कौम भील को ग्राम मंदरगढ तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 272 की रकबा 2.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 278 की रकबा 0.16 हैक्टर कुल 02 किता की 2.65 हैक्टर भूमि दिनांक 22.06.1981 को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन की शर्त संख्या 14 (3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50% क्षेत्रफल, दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्रफल पर काश्त करनी अनिवार्य थी । आवंटी द्वारा उसे आवंटित भूमि पर आवंटन की दिनांक तथा कब्जा प्राप्ति की तिथि से आज तक कृषिमय नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में आवंटी को किया गया आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत निरस्त किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.03.2002 के द्वारा अप्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1981 को निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.03.2002 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों का अवलोकन किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही हल्का पटवारी की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी असिंचित है तथा वर्षा के पानी पर ही आश्रित है । आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि पर समय–समय पर फसल बोई गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उनके वकील साहब सुरेश गौतम की मृत्यु हो गई थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.01.2016 को दूसरे वकील बनवारी गौतम द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन के लिए प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति, अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी सवंत् 2025 से 2028 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति एवं नकल फर्द मिलान सेटलमेंट की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को सन् 1981 को ग्राम मंदरगढ तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 272 की रकबा 2.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 278 की रकबा 0.16 हैक्टर कुल 02 किता की 2.65 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी । आराजी असिंचित है तथा वर्षा के पानी पर निर्भर है । उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा तब से ही निरन्तर चला आ रहा है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथ्यों की जानकारी किये बिना हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को सही मानकर उक्त निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी असिंचित है तथा वर्षा के पानी पर ही आश्रित है फिर भी अपीलान्ट द्वारा समय – समय पर फसल बोई गयी थी लेकिन हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर फसल की टीप नही की और झूंठी रिपोर्ट पेश कर दी गई जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट द्वारा समय–समय पर फसल की गई परन्तु हल्का पटवारी द्वारा गिरदावरी नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 18.03.2002 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरटी 2016 (1) पेज 340, आरआरटी 2015 (2) पेज 105, 2016 (1) आरआरटी पेज 718 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्ट ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है । अपीलान्ट को उक्त भूमि आवंटन होने के प्रथम वर्ष में 50% क्षेत्रफल, दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्रफल पर काश्त करनी अनिवार्य थी । आवंटी द्वारा उसे आवंटित भूमि पर आवंटन की दिनांक तथा कब्जा प्राप्ति की तिथि से आज तक कृषिमय नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.03.2002 के खिलाफ दिनांक 11.04.2016 को अपील पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट दिनांक 27.11.2000 को उपस्थित हुए हैं । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब नोटिस भी पेश किया गया है । इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तथ्यों के विपरीत है । अपीलान्ट ने यह नही बताया है कि उनके अभिभाषक की मृत्यु कब हुई थी। यदि अपीलान्ट के अभिभाषक की मृत्यु भी हुई थी तो भी 2002 से 2016 तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं करने का युक्ति संगत कारण नहीं बताया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो खसरा गिरदावरी पेश हुई है उनमें भूमि पडत दर्शायी गई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्ट के बयान भी दर्ज किये हैं जिसमें यह अंकित किया है कि जबसे आवंटन हुई है उसने कोई फसल नहीं की है, चारा किया है अब फसल कर लेंगे । पटवारी हल्का के भी बयान हुए हैं जिसके अनुसार आराजी 50 से 56 में पढत बताई गई है ।

12. आवंटी ने अपील में जो दस्तावेज पेश किये हैं उनके अनुसार आवंटन सन् 1976 में हुआ है जिसका संवत् 2033 इसके बाद की 02 वर्ष की खसरा गिरदावरी महत्वपूर्ण थी परन्तु अपीलान्ट ने अपील में तत्समय की खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है वरन् संवत् 2070 से 2073 की खसरा गिरदावरी पेश की है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवंटन के तुरन्त बाद अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी को काश्तमय किया था अथवा नहीं ?

13. अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण के आधार पर भी खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2002 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा